



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02012023-241603
CG-DL-E-02012023-241603

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 02]
No. 02]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 02, 2023/पौष 12, 1944
NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 02, 2023/PAUSHA 12, 1944

वस्त्र मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2022

सां. का. नि. 02(अ).—केंद्र सरकार, केंद्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 (1948 का 61) की धारा 4 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, इस अधिसूचना की तारीख से तीन वर्षों की अवधि हेतु केंद्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य के रूप में निम्नलिखित अधिकारी के नामांकन को एतद्वारा अधिसूचित करती है:

क्र.सं.	नाम और पदनाम	अधिनियम की धारा
1	श्री अरुण प्रसाद पी निदेशक, ग्रामीण उद्योग निदेशालय (रेशम क्षेत्र), छत्तीसगढ़ सरकार।	केंद्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 4(3)(छ) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सरकार की सिफारिश पर नामित

(फा.सं.25011/17/2019-रेशम)

प्राजक्ता एल.वर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES**NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd December, 2022

G.S.R. No. 02(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (3) of Section 4 of the Central Silk Board Act, 1948 (61 of 1948), the Central Government hereby notifies the nomination of following Officer to serve as Member of the Central Silk Board for a period of three years from the date of this notification, subject to the provisions of the Act:

S. No.	Name and designation	Section of the Act
1.	Shri Arun Prasad. P. Director, Directorate of Rural Industries (Sericulture Sector), Govt. of Chhattisgarh	Nominated on the recommendation of Govt. of Chhattisgarh under section 4(3) (g) of the CSB Act, 1948.

(F.No.25011/17/2019-Silk)

PRAJAKTA L. VERMA, Jt. Secy.